



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (n) - 06541- 222303

E-mail:- dfochattrasouth@gmail.com

पत्रांक

दिनांक

सेवा में

परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ०सी०पी०,
सी०सी०एल०,
पोस्ट-टण्डवा, चतरा।

विषय:-

टण्डवा प्रखंड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे० (चतरा दक्षिणी -18.66 एवं लातेहार-70.30 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक शून्य दिनांक 20.10.2020

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र द्वारा टण्डवा प्रखंड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 88.96 हे० (चतरा दक्षिणी -18.66 एवं लातेहार-70.30 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक-लिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय त्रुटियों/आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं हैं, जो निम्नवत हैं-

1. पार्ट-I की कंडिका A-I (III) में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
2. पार्ट-I की कंडिका (B) में No. of Segments: Five अंकित है जबकि कुल रकबा एक ही Segments में दर्शाया गया है, बाकि Segments में 0 अंकित है इसे स्पष्ट किया जाय।
3. पार्ट-I की कंडिका D (ii) में Alternative examine is required to be provided: No. अंकित है जबकि यह एक Linear project है बिना Alternative रूट दर्शाये हुए प्रस्ताव पर विचार करना नियम संगत नहीं है।
4. पार्ट-I की कंडिका H (i) में Environment (Protection) Act 1986: No अंकित है इसके द्वारा जबकि कोयला परिवहन होगा ऐसी स्थिति में (EC) पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।
5. विषयगत Forest Clearance का प्रस्ताव समर्पित करने एवं पत्राचार करने हेतु श्री आलोक कुमार, मुख्य प्रबंधक (Mining) को Authorized किया गया है, जबकि प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर Magadh Project Officer का मुहर एवं हस्ताक्षर अंकित है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाय।
6. प्रस्ताव में संलग्न Summary of Magadh Railway Siding में प्रमंडलवार मौजा को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
7. विषयगत प्रस्ताव में NBCC रोड निर्माण एवं कोल खनन हेतु ग्राम सभा की प्रति प्रस्ताव में लगाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।
8. प्रस्ताव के साथ Authentic Land Schedule संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि वन्यप्राणी आश्रयणी /ESZ/ Tiger Project का भाग नहीं है के संबंध में वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
10. विषयगत प्रस्ताव में Minimum Use of Forest Land से संबंधित वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम-2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही के संबंध में Undertaking संलग्न नहीं है।

12. विषयगत प्रस्ताव में भारत/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाये जाते हैं तो उसे मान्य होगा से संबंधित Undertaking संलग्न नहीं है।
13. प्रस्ताव के साथ Gov-reference Map in Shape File संलग्न है, परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रमाणित के अनुरूप नहीं है।
14. प्रस्ताव में संलग्न टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाये गये Magadh Railway Siding निर्माण हेतु Alignment के अवलोकन नहीं हो पा रहा है। अतः संलग्न टोपो मैप अपठनीय है।
15. विषयगत परियोजना में प्रभावित चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल हेतु वनभूमि में GMJJ भूमि शामिल नहीं है के संबंध में Undertaking संलग्न नहीं है।
16. वृक्षों की पातन से संबंधित गणना सूची सारांश के साथ संलग्न नहीं है।
17. Alternative Rout दर्शाते हुए टोपो मैप संलग्न नहीं है।
18. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर Numbering के साथ प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं मुहर युक्त हस्ताक्षर आवश्यक है एवं तैयार किये गये चेक-लिस्ट पर भी हस्ताक्षर अनिवार्य है।
19. प्रस्ताव के साथ Archaeological Importance से संबंधित Structure विषयगत परियोजना में है या नहीं के संबंध में Undertaking संलग्न नहीं है।
20. जिला से संबंधित मूल-भूत सूचनाएँ संलग्न नहीं है।
21. परियोजना से संबंधित Brielle Profile संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त कमियाँ होने पर आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं रहने के कारण प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

ज्ञापांक

436

दिनांक 08/02/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

06.2.2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

08/2/2021